# NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

**समय:** 45 मिनट

**दिनाँक:** 12-09-2026

## विषय सूची


भारत की विनिर्माण चुनौती और आर्थिक कूटनीति की सीमाएँ

ब्रिक्स देशों को भुगतान प्रणालियों को जोड़ना चाहिए, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए

भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026

**संक्षिप्त समाचार**

- लाल सागर
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के 7 वर्ष
- विदेशों में लिथियम और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत का प्रयास
- बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026
- फरक्का संधि
- पैकेट के अग्रभाग पर लेबलिंग
- तांबा
- लिपुलेख दर्रा

# भारत की विनिर्माण चुनौती और आर्थिक कूटनीति की सीमाएँ

## सन्दर्भ

- रूस और चीन के साथ भारत के अनुभव ने प्रदर्शित किया है कि स्वदेशी विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी आर्थिक कूटनीति से प्राप्त लाभों को निष्प्रभावी कर सकती है।

## भारत के बाह्य आर्थिक संबंधों में विनिर्माण अंतर

- **भारत–रूस व्यापार असंतुलन:**
    - रूस को भारत का निर्यात उसके आयात की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित बना हुआ है। भारत का आयात मुख्यतः कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं पर केंद्रित है। रूस को भारत का निर्यात अभी भी 5 अरब डॉलर से कम है, जबकि 2024-25 में रूस से भारत का आयात 63.8 अरब डॉलर था।
    - रूस विनिर्मित उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिसमें मोटर वाहन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरण शामिल हैं।
    - हालांकि, भारत की सीमित विनिर्माण क्षमता उसे इस बाजार का पूरी तरह लाभ उठाने से रोकती है, यहाँ तक कि तब भी जब राजनयिक संबंध अधिक द्विपक्षीय व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।
- **चीन पर निर्भरता:**
    - चीन के साथ भारत का व्यापारिक संबंध विपरीत समस्या को दर्शाता है, क्योंकि चीन से होने वाले निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन, औषधीय सामग्री, ऑटो घटक और अन्य मध्यवर्ती वस्तुएँ शामिल हैं।
    - वर्ष 2025-26 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 151 अरब डॉलर तक पहुँच गया, लेकिन भारत का व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 112 अरब डॉलर हो गया।
    - कई भारतीय क्षेत्र इन आयातों पर निर्भर हैं, क्योंकि चीनी कंपनियाँ विशाल विनिर्माण स्तर और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ प्रतिस्पर्धी लागत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराती हैं।

## आर्थिक कूटनीति के लिए विनिर्माण का महत्व

- **कूटनीति औद्योगिक क्षमता का विकल्प नहीं हो सकती:** व्यापार समझौते, राजनयिक वार्ताएँ और निवेश साझेदारियाँ अवसर पैदा कर सकती हैं, लेकिन वे अपने-आप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण नहीं कर सकतीं।
- **रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करती है:** एक मजबूत विनिर्माण आधार महत्वपूर्ण वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक इनपुट के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता:** बड़े पैमाने पर विनिर्माण भारत को पेट्रोलियम उत्पादों, औषधियों, वस्त्रों और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसी पारंपरिक क्षमताओं से आगे अपने निर्यात-समूह में विविधता लाने में मदद कर सकता है।
- गहरी घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएँ भारतीय निर्यात में घरेलू मूल्यवर्धन को भी बढ़ा सकती हैं।

## भारत का विनिर्माण क्षेत्र

## भारत के विनिर्माण क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **व्यवसाय करने की उच्च लागत:** जटिल नियम, अनुपालन संबंधी आवश्यकताएँ, रसद लागत और स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में होने वाली देरी भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती हैं।
- **कमज़ोर घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएँ:** कई क्षेत्र अभी भी आयातित घटकों, मशीनरी, कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर काफी हद तक निर्भर हैं।
- यह उस सीमा को सीमित करता है, जहाँ तक भारत विनिर्माण श्रृंखला में मूल्य को अपने पास रख सकता है।
- **सीमित पैमाना:** चीनी विनिर्माण को बड़े उत्पादन स्तर, व्यापक आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और एकीकृत औद्योगिक समूहों का लाभ प्राप्त है।
- भारतीय कंपनियाँ अक्सर छोटे पैमाने पर काम करती हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में लागत और आपूर्ति समय-सीमा के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और कौशल का अंतर:** उन्नत विनिर्माण के लिए तेजी से अत्याधुनिक मशीनरी, अनुसंधान क्षमताओं, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती जा रही है।
- भारत को उद्योग–शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत संबंधों और अनुसंधान एवं विकास में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता है।

## विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकारी उपाय

- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):** बजट 2025-26 में घोषित, यह औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के

रूप में कार्य करता है। इसका लक्ष्य 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण के माध्यम से वस्तु निर्यात को 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।

- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसका प्राथमिक उद्देश्य पात्र कंपनियों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना था।
  - इस योजना में शुरुआत में तीन क्षेत्रों को लक्षित किया गया था और समय के साथ इसका विस्तार इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्रों से लेकर ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण तक 14 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया गया है।
- **स्टार्टअप इंडिया:** इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- **राष्ट्रीय रसद नीति (NLP):** इस नीति का उद्देश्य वर्तमान 13-14% की रसद लागत को कम करना और इसे अन्य विकसित देशों के स्तर के अनुरूप लाना है।
- **पीएम गति शक्ति:** इसे 2021 में देश के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढाँचा योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/स्थलीय बंदरगाह, उड़ान आदि को शामिल किया जाएगा।
- **नवाचार वित्तपोषण**: सरकार ने छह वर्षों में ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष की घोषणा की है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹20,000 करोड़ शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य उच्च-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देना और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को क्रियान्वित करना है।

## भारत को क्या करने की आवश्यकता है?

- **प्रोत्साहनों से प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर बढ़ना:** उत्पादन प्रोत्साहन निवेश को उत्प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक विनिर्माण सफलता के लिए आवश्यक है कि कंपनियाँ निरंतर राजकोषीय सहायता के बिना भी प्रतिस्पर्धी बनें।
- **संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण:** भारत को पूरे उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू क्षमताएँ विकसित करनी चाहिए, जिसमें घटक, मशीनरी, कच्चा माल, रसद और विशेषीकृत सेवाएँ शामिल हैं।
- **निर्यात-उन्मुख विनिर्माण:** भारत को उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है जहाँ वह टिकाऊ तुलनात्मक लाभ विकसित कर सकता है और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत कर सकता है।

## आगे की राह

- भारत की आर्थिक कूटनीति अवसरों के द्वार खोल सकती है, लेकिन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता यह निर्धारित करती है कि भारत उन द्वारों से होकर आगे बढ़ पाएगा या नहीं।
- रूस और चीन के साथ अनुभव दर्शाता है कि कमजोर उत्पादन क्षमता की भरपाई राजनयिक प्रभाव से नहीं की जा सकती।
- इसलिए, भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए ऐसे विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जो पैमाने, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धी आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश-अनुकूल नियामक वातावरण पर आधारित हो।

स्रोत: IE

# ब्रिक्स देशों को भुगतान प्रणालियों को जोड़ना चाहिए, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए

NEXT IAS हिन्दी

## सन्दर्भ

- नई दिल्ली में होने वाले **18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** से पहले भारत ने ब्रिक्स के सदस्यों और साझेदार देशों से स्थानीय-मुद्रा व्यापार, आपस में जुड़ी भुगतान प्रणालियों और आसान बाजार पहुँच के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को गहरा करने का आग्रह किया है।

## स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डॉलर पर निर्भरता में कमी के बारे में

- स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का अर्थ है कि सीमा-पार लेन-देन को अमेरिकी डॉलर जैसी मध्यवर्ती मुद्रा में परिवर्तित करने के बजाय व्यापार करने वाले देशों की मुद्राओं में सीधे निपटाना।
- डॉलर पर निर्भरता में कमी से तात्पर्य व्यापार के मूल्य निर्धारण, भुगतान, भंडार और अंतरराष्ट्रीय वित्त में अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।
- **ब्रिक्स का दृष्टिकोण**: अधिक मुद्रा विविधीकरण और भुगतान-प्रणाली की स्वायत्तता स्थापित करना।

## स्थानीय-मुद्रा व्यापार का महत्व

- **लेन-देन लागत में कमी**: बार-बार मुद्रा परिवर्तन और मध्यवर्ती मुद्राओं पर निर्भरता कम होती है।
- **अधिक लचीलापन**: वैकल्पिक भुगतान माध्यम बाहरी वित्तीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।

- **ब्रिक्स के बीच व्यापार को बढ़ावा**: आसान भुगतान निपटान आर्थिक पूरकतों को वाणिज्यिक साझेदारियों में बदल सकता है।
- **वित्तीय स्वायत्तता**: भू-राजनीतिक और प्रतिबंध-संबंधी अनिश्चितताओं के बीच उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक नीतिगत स्वतंत्रता मिलती है।
- **डिजिटल एकीकरण**: यूपीआई और अन्य भुगतान प्रणालियों को जोड़ने से तेज, सस्ते और अधिक समावेशी सीमा-पार लेन-देन को बढ़ावा मिल सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण**: महत्वपूर्ण खनिजों, कच्चे माल और विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाता है।

## चिंताएँ और चुनौतियाँ

- विनिमय दरों में अस्थिरता निर्यातकों और आयातकों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
- स्थानीय मुद्राओं की परिवर्तनीयता और तरलता सीमित हो सकती है।
- लगातार बने रहने वाले व्यापार असंतुलन से साझेदार देशों की मुद्राओं का संचय कठिन हो सकता है।
- वित्तीय नियमों, डेटा मानकों और भुगतान अवसंरचना में अंतर परस्पर संचालन में बाधा डालते हैं।
- डॉलर-आधारित बाजारों को गहराई, तरलता और वैश्विक स्वीकार्यता के मामले में अभी भी लाभ प्राप्त है।
- अधिक डिजिटल संपर्क से साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।
- अत्यधिक वित्तीय विखंडन लेन-देन को सरल बनाने के बजाय उसकी जटिलता बढ़ा सकता है।

## आगे की राह: सुदृढ़ीकरण के उपाय

- ब्रिक्स को परस्पर संचालित भुगतान प्रणालियों, मुद्रा-स्वैप व्यवस्थाओं, पारदर्शी निपटान तंत्रों और सामान्य डिजिटल मानकों को अपनाना चाहिए, साथ ही वित्तीय विनियमन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए।
- ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030, ब्रिक्स कनेक्ट, ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड गहरे एकीकरण में सहायता कर सकते हैं।
- सहयोग में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के केंद्र में विश्व व्यापार संगठन को बनाए रखना चाहिए, साथ ही रसद, किफायती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त, व्यापार सुगमता और मानकों की पारस्परिक मान्यता में सुधार करना चाहिए।

## निष्कर्ष

- भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषय-वस्तु 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' अधिक विविधतापूर्ण व्यवस्था के निर्माण का अवसर प्रदान करती है।

### ब्रिक्स का परिचय

- ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक दक्षिण का एक प्रमुख मंच है, जिसमें प्रारंभ में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ।
- इसके विस्तार ने इसके जनसांख्यिकीय, आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को काफी बढ़ाया है।
- ब्रिक्स अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार, प्रौद्योगिकी, विकास और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग की दिशा में कार्य करता है तथा अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करता है।

### ऐतिहासिक विकास: ब्रिक से ब्रिक्स+ तक

- ब्रिक्स एक आर्थिक समूह से विकसित होकर रणनीतिक स्वायत्तता, विकास सहयोग और वैश्विक शासन में सुधार के व्यापक मंच के रूप में विकसित हुआ है।
- वर्ष 2001: अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा।
- वर्ष 2009: रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
- वर्ष 2010: दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिससे ब्रिक्स का गठन हुआ।
- वर्ष 2024: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पूर्ण सदस्य बने।
- वर्ष 2025: इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ, जिससे वैश्विक दक्षिण में इसका प्रतिनिधित्व और व्यापक हुआ।
- इसके अलावा, बेलारूस, बोलीविया, कज़ाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देश के रूप में शामिल हुए।
- वर्ष 2026: भारत ने अध्यक्षता संभाली और नई दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

### ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 में प्रमुख प्रस्ताव

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे:

- एक-दूसरे के उत्पादों, विशेष रूप से कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बाजार खोलना तथा ऐसी लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करना जो 'दोनों दिशाओं में' संचालित हों।

- गैर-टैरिफ उपायों (NTMs) को कम करना, जो 88% देशों के लिए टैरिफ की तुलना में अधिक निर्यात लागत लगाते हैं।
- भुगतान प्रणालियों को जोड़ना और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का विस्तार करना।
- भारत के यूपीआई का लाभ उठाकर व्यापक डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना, जिसे अब 11 देशों में स्वीकार किया जाता है।
- कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, औषधि, इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो घटकों और सेवाओं में अधिक सहयोग करना।
- ब्रिक्स प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना। भारत के 2,50,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45% से अधिक में कम से कम एक महिला साझेदार/निदेशक हैं।
- 'सह-विकास, सह-निवेश और सह-नवाचार' के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा केंद्रों और सेमीकंडक्टर में सहयोग करना, जिसमें भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी शामिल है।
- ब्रिक्स कनेक्ट, व्यवसाय-से-व्यवसाय साझेदारियों, वार्षिक ब्रिक्स व्यापार एवं निवेश प्रदर्शनी और डिजिटल व्यापार दस्तावेज़ीकरण का प्रस्ताव।

स्रोत: TH

## भारत-रूस द्विपक्षीय बैठक

### सन्दर्भ

- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुँचे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

### प्रमुख बिंदु

- व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030 के क्रियान्वयन को शामिल किया गया।
- वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने और नागरिक परमाणु सहयोग से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित शास्त्रीय तमिल काव्य-संग्रह तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद उपहार में दिया।
- महत्वपूर्ण खनिज एक अन्य रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में उभर रहे हैं। दोनों पक्ष अन्वेषण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ देख रहे हैं।
- **नागरिक परमाणु सहयोग**: चर्चाओं में परमाणु ईंधन चक्र सहयोग और भारत में मौजूदा रूसी डिजाइन वाले रिएक्टरों के जीवन-चक्र समर्थन को भी शामिल किया गया, साथ ही दूसरे रूसी डिजाइन वाले रिएक्टर स्थल पर वार्ता को जारी रखा गया।

## भारत-रूस संबंधों का संक्षिप्त विवरण

**स्थापना और समयरेखा**

- **वर्ष 1947**: भारत और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता से कुछ महीने पहले हुआ था।
- **शीत युद्ध काल (1947-1991):** सोवियत संघ भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा, विशेष रूप से पश्चिमी देशों की शत्रुता के समय।
- दोनों देशों ने शांति, मैत्री और सहयोग की संधि (1971) पर हस्ताक्षर किए, जिसने रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी।
- **वर्ष 1991**: सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने रूसी संघ को मान्यता दी।
- **वर्ष 1993**: मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
- **वर्ष 2000**: रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई।
- **बहुआयामी सहयोग रूपरेखा**: भारत और रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (2010) से जुड़े हुए हैं।
- वर्षों के दौरान यह साझेदारी पारंपरिक सैन्य संबंधों से कहीं आगे बढ़कर आर्थिक, ऊर्जा, अंतरिक्ष और शैक्षिक सहयोग को भी शामिल कर चुकी है।
- **द्विपक्षीय व्यापार**: नेताओं ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के वर्तमान 68.7 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2025-26 के 59.863 अरब डॉलर से अधिक है।
- दोनों पक्ष यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं।
- **रक्षा और सैन्य सहयोग:** रक्षा सहयोग साझेदारी का प्राथमिक स्तंभ बना हुआ है। यह पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर भारत की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान, विकास और सह-उत्पादन की दिशा में संरचनात्मक रूप से परिवर्तित हुआ है।
- रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य-तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-MTC) खरीद, रखरखाव और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का समन्वय जारी रखता है।
- **परमाणु सहयोग**: रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने 2025 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तीसरे रिएक्टर के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप पहुँचाई, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- रूस कुडनकुलम में छह रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से दो पहले से ही परिचालन में हैं।
- भविष्य की चर्चाओं में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों और तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को शामिल किया गया है।

- **ऊर्जा साझेदारी**: 2023-24 में रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसका प्रमुख कारण रियायती दरों पर होने वाला तेल आयात था, जो भारत की कच्चे तेल की कुल आयात टोकरी का 35% से अधिक था।
- **भुगतान तंत्र में नवाचार**: दोनों देशों ने वाणिज्यिक लेन-देन के 96% को राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपये और रूबल) में स्थानांतरित कर दिया है और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए डॉलर-आधारित निपटान से दूर हुए हैं।
- **राजनीतिक समर्थन और बहुपक्षीय मंच**: रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन करता है।
- दोनों देश बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स, एससीओ और जी20 में समन्वय करते हैं।

## चुनौतियाँ

- **रूस–यूक्रेन संघर्ष:** लंबे समय से जारी युद्ध ने रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के साथ उसके बढ़ते संबंधों के बीच राजनयिक संतुलन को जटिल बना दिया है।
- **रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध**: अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंध भुगतान, बैंकिंग, रसद, बीमा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रभावित होते हैं।
- **रक्षा निर्भरता और विविधीकरण**: रूसी रक्षा उपकरणों पर भारत की ऐतिहासिक निर्भरता के कारण स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और समय पर आपूर्ति को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **रूस–चीन की बढ़ती निकटता**: चीन पर रूस की बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक निर्भरता भारतीय हितों को समायोजित करने के लिए उपलब्ध रणनीतिक अवसर को सीमित कर सकती है, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।
- **व्यापार असंतुलन**: द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात के कारण, लेकिन रूस को भारत का निर्यात तुलनात्मक रूप से सीमित बना हुआ है, जिससे लगातार व्यापार असंतुलन बना हुआ है।
- **प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधी चिंताएँ**: प्रतिबंध और पश्चिमी प्रौद्योगिकी तक रूस की कम होती पहुँच उन्नत रक्षा सहयोग, संयुक्त उपक्रमों और दीर्घकालिक ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।

## निष्कर्ष

- भारत-रूस साझेदारी समकालीन युग में सबसे स्थिर साझेदारियों में से एक रही है, जिसमें बहुध्रुवीय विश्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। साथ ही, दोनों देश पारंपरिक सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग से आगे संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- दोनों देश अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को भी मजबूत करने की दिशा में देख रहे हैं, विशेष रूप से रूसी सुदूर पूर्व के साथ, तथा संपर्क संबंधी पहलों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहे हैं।

स्रोत: TH

# उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026

## सन्दर्भ

- सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन किया है, ताकि मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित सूचीकरण, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से संबंधित नियमों को और कड़ा किया जा सके।

## भारत में ई-कॉमर्स बाजार

- भारत का ई-कॉमर्स उद्योग, जिसका मूल्य 2024 में 125 अरब अमेरिकी डॉलर था, 2030 तक बढ़कर 345 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यह 18.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।
- 2025 में भारत में लगभग 29–30 करोड़ ऑनलाइन खरीदार थे, जिनमें टियर-2 और उससे आगे के शहरों का योगदान नए खरीदारों में लगभग 65% था।
- छोटे शहरों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच खरीदारों की पहुँच अभी भी केवल 25–30% है, जिससे भविष्य में पर्याप्त वृद्धि की संभावना बनी हुई है।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार आधार बन गया है।
- इस क्षेत्र को बढ़ती इंटरनेट पहुँच, बढ़ती समृद्धि और किफायती डेटा कीमतों से लाभ मिला है।

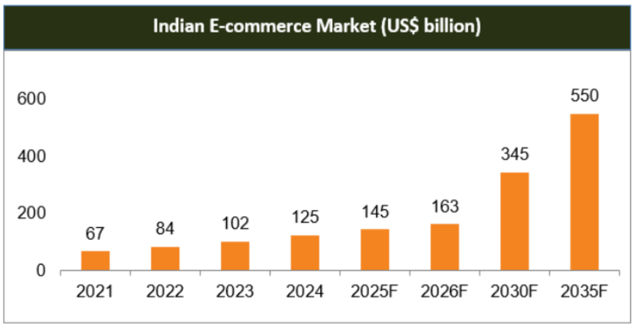


## संशोधित नियमों के प्रमुख प्रावधान

- ई-कॉमर्स संस्थाओं को खोज परिणामों में इस प्रकार हेरफेर करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाए या परिणामों की उनके खोज संबंधी प्रश्नों के लिए प्रासंगिकता कम हो जाए।

- जब भी कीमत में कटौती की घोषणा की जाएगी, संस्थाओं को कम की गई कीमत और पूर्व कीमत, दोनों का खुलासा करना होगा।
- पूर्व कीमत को उस सबसे कम कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर छूट की घोषणा से पहले 30 दिनों के दौरान उत्पाद उपलब्ध कराया गया था।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्था को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा। इससे ऑनलाइन मंचों का राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के साथ एकीकरण मजबूत होगा।
- ई-कॉमर्स संस्थाओं को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 का अनुपालन करना होगा।
- उन्हें प्रत्येक वर्ष स्व-मूल्यांकन भी करना होगा और अनुपालन प्रमाणपत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
- उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्था को शिकायतकर्ता को उसके शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी, जिससे शिकायत निपटान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।
- बाजार-आधारित ई-कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसमें बेस्ट-बिफोर या यूज़-बिफोर तिथियाँ, वापसी और धनवापसी नीतियाँ, वारंटी का विवरण, वितरण संबंधी जानकारी और भुगतान की शर्तें शामिल हैं।
- आयातित उत्पादों के मामले में मंचों को आयातक का विवरण और मूल देश की जानकारी भी देनी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीदे जाने वाले उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी।

### भारत में ई-कॉमर्स के मॉडल

- **व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C)**: अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे मंच इस मॉडल पर काम करते हैं।
- **व्यवसाय से व्यवसाय (B2B)**: यह विशेष रूप से विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए प्रासंगिक है, जहाँ कंपनियाँ आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल, मशीनरी और अन्य आपूर्तियाँ प्राप्त करती हैं।
  - उदान और अलीबाबा जैसे मंच इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा थोक लेन-देन और आपूर्ति श्रृंखला समाधान उपलब्ध कराते हैं।
  - B2B ई-कॉमर्स में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- **उपभोक्ता से उपभोक्ता (C2C):** ओएलएक्स और क्विकर जैसे मंच व्यक्तियों को अपनी वस्तुओं की सूची बनाने और उन्हें बेचने की सुविधा देते हैं तथा आपसी लेन-देन के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं।
  - व्यवसाय से प्रशासन (B2A) और उपभोक्ता से प्रशासन (C2A): सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) B2A मंच का एक उदाहरण है, जो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुगम बनाता है।

## सरकार के अन्य कदम

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सरकारी खरीद के लिए एक मंच उपलब्ध कराकर ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा, 2019**: डेटा स्थानीयकरण, उपभोक्ता संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क (ONDC):** यह एक विकेंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है, जो खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यवसाय करने की लागत को कम करने में सहायता करेगा।
- B2B ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बाजार-आधारित मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- राष्ट्रीय रसद नीति और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल संपर्क सुविधा में सुधार, रसद को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल पहुँच का विस्तार करके ई-कॉमर्स को बढ़ावा दे रही हैं।

## आगे की राह

- जैसे-जैसे भारत का ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र महानगरीय बाजारों से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल वाणिज्य में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय भूमिका निभाएगा।
- संशोधित नियम ऐसा नियामक वातावरण बनाने में सहायक हो सकते हैं, जहाँ पारदर्शिता और उपभोक्ता कल्याण के साथ नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यवसाय करने में सुगमता का सह-अस्तित्व हो।
- लेकिन इन नियमों की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ता जागरूकता और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र पर निर्भर करेगी।

स्रोत: DD News, IBEF

# संक्षिप्त समाचार

## लाल सागर

### सन्दर्भ

- ईरान समर्थित हूतियों ने यमन के पूरे लाल सागर तट पर नियंत्रण कर लिया और तीन रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर लिया। यह एक तेज सैन्य अभियान था, जिसने एक महत्वपूर्ण समुद्री नौवहन गलियारे पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया।

### परिचय

- **स्थिति**: लाल सागर हिंद महासागर की एक समुद्री खाड़ी है, जो अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी भाग और एशिया में स्थित अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है।

- **सीमाएँ**:यह दक्षिण में बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है।
- इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्थित हैं, जो आगे स्वेज नहर की ओर जाती है।
- यह पश्चिम में मिस्र, सूडान और इरिट्रिया के तटों को पूर्व में सऊदी अरब और यमन से अलग करता है।
- **व्यापार**: लाल सागर एक महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री नौवहन गलियारा है, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का लगभग 15% और वैश्विक कंटेनर यातायात का लगभग 30% संचालित होता है।

स्रोत: TH

## प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के 7 वर्ष

### सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) ने सात वर्ष पूरे कर लिए हैं।

### योजना का परिचय

- पीएम-केएमवाई एक स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसे छोटे और सीमांत किसानों को उनके वृद्धावस्था के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
- योजना के अंतर्गत पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होती है।
- यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी में लागू किया जाता है।
- योजना अभिदाता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन सहायता भी प्रदान करती है।
- यदि किसी अभिदाता की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को अभिदाता की पेंशन की 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह राशि ₹1,500 प्रति माह होती है। यह लाभ केवल पति/पत्नी के लिए उपलब्ध है और तभी लागू होता है जब पति/पत्नी पहले से पीएम-केएमवाई के लाभार्थी न हों।
- योजना में यह विकल्प भी उपलब्ध है कि यदि किसी अभिदाता की 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो क्या किया जाए।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है, तो पति/पत्नी निर्धारित नियमित अंशदान करके योजना में शामिल होकर इसे जारी रख सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से, पति/पत्नी योजना से बाहर निकलने और निकासी संबंधी प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर हो सकते हैं।
- यह योजना पूरे देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खुली है, जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।
- नामांकन के लिए किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पात्र होने के लिए 1 अगस्त 2019 तक संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में उनका नाम दर्ज होना चाहिए।

स्रोत: PIB

NEXT IAS हिन्दी

## विदेशों में लिथियम और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत का प्रयास

### सन्दर्भ

- खान मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया और चिली के साथ लिथियम ब्लॉक प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। साथ ही, भारत महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुरक्षित करने के प्रयासों को तेज करते हुए अर्जेंटीना में पाँच अतिरिक्त ब्लॉक प्राप्त करने की भी मांग कर रहा है।

### लिथियम

- लिथियम एक रासायनिक तत्व है, जिसका प्रतीक Li और परमाणु क्रमांक 3 है। यह एक नरम, चाँदी-सफेद क्षार धातु है।
- गुण: सभी क्षार धातुओं की तरह, लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है। इसे निर्वात, अक्रिय वातावरण या शुद्ध किए गए मिट्टी के तेल अथवा खनिज तेल जैसे अक्रिय द्रव में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- महत्व: लिथियम-आयन बैटरियों का एक प्रमुख घटक है, जिनका व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है।

### वैश्विक भण्डार

- अब तक वैश्विक स्तर पर खोजे गए अधिकांश लिथियम भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चीन में स्थित हैं।
- अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, जिन्हें 'लिथियम त्रिकोण' के रूप में भी जाना जाता है, विश्व के 54% लिथियम भंडार रखते हैं।
- अर्जेंटीना में लिथियम अटाकामा मरुस्थल और क्षेत्र के निकटवर्ती शुष्क क्षेत्रों में स्थित नमक के मैदानों में पाया जाता है।

### भारत में लिथियम

- भारत में राजस्थान के सांभर और पचपदरा क्षेत्रों तथा गुजरात के कच्छ के रण की खारी जलराशियों से लिथियम प्राप्त करने की कुछ संभावनाएँ हैं।
- वर्ष 2023 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन अनुमानित लिथियम संसाधनों की पहचान की।

स्रोत: TH

## बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026

### सन्दर्भ

- बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 2026 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और यह 1891 के कानून का स्थान लेगा।

### परिचय

- यह कानूनी कार्यवाहियों में बैंकिंग अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा।
- यह प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है तथा भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आभासी, क्लाउड-आधारित और अन्य समकालीन रूपों में रखे गए बैंकिंग अभिलेखों को मान्यता देता है।
- नए कानून का एक प्रमुख प्रावधान बैंकिंग अभिलेखों के प्रमाणीकरण को सरल और मानकीकृत करना है।
- ऐसा प्रमाणीकरण मैनुअल, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे न्यायिक और अन्य कानूनी कार्यवाहियों में बैंकिंग अभिलेखों का उपयोग आसान हो सकेगा।
- यह कानून उन मामलों में बैंक अधिकारियों को सम्मन किए जाने के संबंध में भी अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, जहाँ बैंक कार्यवाही का पक्षकार नहीं है।
- ऐसे अधिकारियों को सम्मन करने से पहले न्यायालय को लिखित रूप में "विशेष कारण" दर्ज करना आवश्यक होगा।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को अपने प्रावधानों को निर्दिष्ट वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं या संस्थाओं के वर्गों तक विस्तारित करने का अधिकार भी देता है, जिससे व्यापक वित्तीय क्षेत्र में होने वाले विकास के अनुरूप कानूनी ढाँचे को अनुकूलित किया जा सकेगा।

स्रोत: DD

## फरक्का संधि

### सन्दर्भ

- जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार के गंगा किनारे स्थित 12 जिलों में एक अभियान शुरू किया है, जिसमें फरक्का संधि में राज्य के हितों की सुरक्षा की मांग की गई है। यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है।

### परिचय

- फरक्का संधि, जिसे गंगा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, पर भारत के प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षर किए थे।
- यह संधि फरक्का बैराज पर गंगा के जल के बँटवारे को नियंत्रित करती है। जल की कमी की अवधि (11 मार्च–11 मई) के दौरान, जल की उपलब्धता के अधीन, 35,000 क्यूसेक पानी प्रत्येक देश को बारी-बारी से 10-10 दिनों की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है।
- फरक्का बैराज, जो पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर निर्मित है, का निर्माण कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता में सुधार करने के लिए किया गया था। इसके लिए पानी को हुगली नदी में मोड़ा जाता है।
- अनुच्छेद XII में प्रावधान है कि 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से संधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

स्रोत: IE

## पैकेट के अग्रभाग पर लेबलिंग

### चर्चा में क्यों?

- उच्च चीनी, नमक और वसा वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पैकेज के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल (FoPL) लागू करने के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्रस्तावित दो-चरणीय कार्यान्वयन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है।

### पैकेज के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल (FoPL)

- भारत में वर्ष 2018 से पैकेज के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल पर चर्चा होती रही है।
- एफएसएसएआई (FSSAI) ने अतिरिक्त चीनी, संतृप्त वसा या नमक की अधिक मात्रा वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए लाल, षट्भुजाकार पैकेज के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल का प्रस्ताव दिया है, ताकि उपभोक्ता अस्वास्थ्यकर उत्पादों की शीघ्र पहचान कर सकें।
- अनुशंसित पोषक तत्वों का निर्धारण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश, 2024 में निर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर किया गया है।
- प्रस्ताव में दो-चरणीय कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।
- **चरण 1:** उन उत्पादों पर चेतावनी लगाई जाएगी जिनमें तीन में से कम-से-कम दो पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है तथा निर्दिष्ट अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों पर भी चेतावनी लगाई जाएगी।
- **चरण 2:** उन उत्पादों पर चेतावनी लगाई जाएगी जिनमें इनमें से किसी एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक है।

### अपवर्जन

- एफएसएसएआई (FSSAI) के प्रस्तावित पैकेज के अग्रभाग पर लेबलिंग ढाँचे में एकल-घटक वाले खाद्य पदार्थों तथा प्राकृतिक रूप से अधिक वसा, चीनी या नमक वाले उत्पादों, जैसे घी, खाद्य तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद को बाहर रखा जाएगा। हालाँकि, अन्य खाद्य-सुरक्षा और लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएँ लागू रहेंगी।

### सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय ने एफएसएसएआई (FSSAI) की दो-चरणीय पैकेज के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल (FoPL) योजना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरे चरण में अनिश्चितकाल तक देरी हो सकती है, क्योंकि इसकी कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
- न्यायालय ने मूल रूप से दो पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों पर जोर देने के औचित्य पर सवाल उठाया तथा सीमा-आधारित दृष्टिकोण और अत्यधिक प्रसंस्कृत तथा न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए अलग-अलग मानकों की वकालत की।
- न्यायालय ने बच्चों को पोषण संबंधी शिक्षा देने तथा आसानी से समझने के लिए चित्रात्मक प्रतीकों के साथ शब्दों के प्रयोग का सुझाव दिया।

**स्रोत**: TH

## तांबा

### भूगोल; जीएस-3/अर्थव्यवस्था

**चर्चा में क्यों?**

- व्यापारिक तनाव और पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर अनिश्चितता के बीच तांबे की कीमतें बढ़कर 14,708 डॉलर प्रति टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं।

**तांबा**

- तांबा (Cu) एक लालिमा लिए हुए धातु है, जिसमें बहुत अधिक तन्यता होती है तथा यह ऊष्मा और विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक है।
- यह प्रकृति में धात्विक अवस्था में पाया जाता है।
- यह चाल्कोसाइट, चाल्कोपाइराइट और बॉर्नाइट जैसे खनिजों में भी पाया जाता है।
- इसका उत्पादन प्रगलन या निक्षालन द्वारा किया जाता है, जिसके बाद प्रायः वैद्युत निक्षेपण किया जाता है।
- यह मनुष्यों द्वारा निकाली और उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक धातुओं में से एक थी।
- सभ्यता के आरंभ से ही इसने समाज को बनाए रखने और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

**उपयोग**

- तांबे का व्यापक रूप से उपयोग इसकी उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालकता, संक्षारण प्रतिरोध तथा आघातवर्धनीयता के कारण किया जाता है।
- पीतल, कांसा और निकेल-सिल्वर जैसी मिश्रधातुएँ बनाने के लिए तांबे को जस्ता, टिन और निकेल जैसी अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है।
- औजार, हथियार, खाना पकाने के बर्तन, घरेलू उपयोग के बर्तन, दर्पण और आभूषण सभी तांबे से बनाए जाते थे। तांबा सिक्का बनाने वाली धातुओं का भी हिस्सा है।
- यह संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी है और इसका उपयोग पानी की पाइपों के लिए किया जा सकता है।

NEXT IAS हिन्दी

### आँकड़े

- वर्ष 2025 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16.2 अरब डॉलर मूल्य के तांबे के उत्पादों का आयात किया।
- इन आयातों में चीन की हिस्सेदारी 20% थी, इसके बाद मेक्सिको 17%, यूरोपीय संघ 14%, कनाडा 10% और वियतनाम 8% का स्थान रहा।

स्रोत: IE

## लिपुलेख दर्रा

### चर्चा में क्यों?

- लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत-तिब्बत सीमा व्यापार फिर से शुरू हो गया है।

### लिपुलेख दर्रा

- यह कुमाऊँ क्षेत्र में लगभग 5,334 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक उच्च ऊँचाई वाला हिमालयी दर्रा है।
- यह एक रणनीतिक त्रि-जंक्शन के रूप में कार्य करता है, जो भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल को जोड़ता है।
- यह रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के पारंपरिक मार्ग के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: IE

NEXT IAS हिन्दी